



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6409

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 24969 / 2025

जुनैद

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता : अतुल कुमार शाही, सुनील कुमार सिंह, सुरेन्द्र बहादुर सिंह,
सैयद अली शौकत (अबीदी)
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

सूची पुनः पुकारी गई, प्रथम सूचना देने वाले की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं राज्य के लिए श्री पूनीत कुमार सिंह, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक जुनैद द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 357/2025, धारा 109(1), 115(2), 352, 351(2) एवं बी.एन.एस. की 3/5 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27, थाना लिसारीगेट, जिला मेरठ में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहाई हेतु प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त आवेदक निर्दोष है। वर्तमान मामले में वह झूठे रूप में लिप्त किया गया है तथा 05.06.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रथम सूचना 05.06.2025 को प्रथम सूचना देने वाले द्वारा तीन नामजद व्यक्तियों सहित आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराई गई जिसमें आरोप है कि किसी विवाद के कारण आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तों ने गालीबाजी की तथा आवेदक ने प्रथम सूचना देने अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वाले के भाई जुनैद पर हत्या का इरादा कर गोली चलाई जो कमर पर लग गई तथा उसके बाद सभी अभियुक्तों ने प्रथम सूचना देने वाले को पकड़ लिया तथा आवेदक ने गोली चलाई जो चूक गई। उक्त घटना में आवेदक का भाई जुनैद गंभीर रूप से घायल हुआ। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि चोट गैर-जीवनीय अंग पर थी। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है वास्तविक तथ्य यह है कि घायल बदमाश है तथा घटना वाले दिन प्रातः प्रथम सूचना देने वाले एवं आवेदक के मध्य कुछ तकरार हुई तथा संध्या समय किसी ने घायल पर हमला किया तथा आवेदक को झूठा फंसाया गया। आवेदक से बरामद देशी पिस्तौल मनगढ़ंत है। लंबे तर्क के पश्चात् विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में 05.08.2025 को आरोप पत्र दाखिल हो चुका है तथा आवेदक के और पुलिस अभिरक्षा पूछताछ की आवश्यकता नहीं। शपथ पत्र के अनुच्छेद 18 में एक आपराधिक इतिहास का उचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा जमानत पर रिहा होने पर न्याय के परिणाम से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का कोई भय नहीं। अतः जमानत हेतु प्रार्थना की गई है।

विपरीत पक्ष में, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क देते हुए कहा कि अभियुक्त की निर्दोषता पूर्व-विचारण अवस्था में निर्धारित नहीं की जा सकती अतः उसे कोई छूट के योग्य नहीं। जमानत पर रिहा होने पर वह पुनः ऐसी गतिविधियों में लिप्त होगा तथा जमानत का दुरुपयोग करेगा।

अपराध की प्रकृति, अभिलेखों पर लाए गए सामग्री/साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदक-जुनैद को जमानत पर रिहा किया जाए बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार नाममात्र राशि के प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा तथा मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित उपस्थित होगा जब तक व्यक्तिगत हाजिरी अधिवक्ता के माध्यम से छूट न मिल जाए।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है तो अधीनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी 2026

दीपक/